

प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला।

यादि क्रमांक 639-व-5-2015/18485
चण्डीगढ़ दिनांक 2/11/15

विषय:

Diversion of 0.0119 ha. of forest land for access to retail outlet of I.O.C.Ltd. along Mahendergrh,-sehang road, km 7-8, R/side at village Malra, under Forest Division and District Mahendergarh, Haryana.(D-III-6427).

संदर्भ:-

आपका पत्र क्रमांक डी-III-6427/7079 दिनांक 06.09.2015.

कृपया उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा संदर्भाधीन पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है।

2. विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु 0.019 ha वन भूमि के उपयोग के लिए सैधांतिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है:-

- (i) प्रयोक्ता एजेन्सी से स्कीम के अनुसार 40,398 /-रु प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमाकरवाई जाये।
- (ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/20.07-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के अनुसार प्रयोक्तों एजेन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रेजेन्ट वैल्यु जमा करवाई जाये।
- (iii) भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/कैम्पा दिनांक 24.06.2011 के तहत दिए गये अनुदेशों के अनुसार NVP तथा दूसरी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के (कैम्पा हरि0) लेखा संख्या SB01025209 कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 या (कैम्पा-हरि0) लेखा संख्या SB344902010105418 भारतीय यूनियन बैंक, सुन्दरनगर, नई दिल्ली में जमा कराया जाये और सरकार को निर्धारित प्रोफार्मा द्वारा सूचित किया जाये।

3. उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा ओ0एस0डी0 तदर्थ कैम्पा से राशि जमा होने की पुष्टी भी करवाई जाये ताकि मामले में आगामी कार्यवाही की जा सके। राज्य सरकार की अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए।

विशेष सचिव,

कृते: प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वन विभाग।

प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक (केन्द्रीय), क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, बेज नं0 24-25, सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़।
2. वन मण्डल अधिकारी, महेन्द्रगढ़।